



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01052021-226814  
CG-DL-E-01052021-226814

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 247]  
No. 247]

नई दिल्ली, शनिवार, मई 1, 2021/वैशाख 11, 1943  
NEW DELHI, SATURDAY, MAY 1, 2021/VAISAKHA 11, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मई, 2021

सं. 30/2021-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 313 (अ).— सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आश्वस्त होने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, केंद्रीय सरकार एतद्वारा ऐसे माल, जिसका विवरण नीचे सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है और जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय, शीर्ष, उप-शीर्ष अथवा टैरिफ मद के अंतर्गत आते हैं जो कॉलम (2) में सामने की प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट हैं, पर एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 के साथ पठित उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (7) के अधीन लगने वाले उतने एकीकृत कर से, जो उक्त सारणी के स्तम्भ (4) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट एकीकृत माल और सेवा कर से अधिक है, से, जब वह भारत में आयातित हो, छूट प्रदान करती है, यथा:-

## सारणी

क्र. सं.	अध्याय, शीर्ष, उप-शीर्ष अथवा टैरिफ मद	माल का विवरण	एकीकृत माल और सेवा कर दर
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	9804	व्यक्तिगत प्रयोग के लिए आयातित ऑक्सीजन संकेन्द्रक	12%

2. यह अधिसूचना 30 जून, 2021 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, लागू रहेगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/1/2021-टीओ(टीआरयू-1)-सीबीईसी]

गौरव सिंह, उप सचिव

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 1st May, 2021

## No. 30/2021-Customs

**G.S.R. 313 (E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the goods of the description specified in column (3) of the Table below, falling within the Chapter, heading, sub-heading or tariff item of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) specified in column (2) of the said Table, when imported into India, from so much of the integrated tax leviable thereon under sub-section (7) of section 3 of the said Customs Tariff Act, read with section 5 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), as is in excess of the amount calculated at the rate specified in the corresponding entry in column (4) of the said Table, namely-

TABLE

S.No.	Chapter, heading, sub-heading or tariff item	Description	IGST rate
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	9804	Oxygen concentrator, imported for personal use	12%

2. This notification shall remain in force up to and inclusive of the 30th June, 2021.

[F.No. CBIC-190354/1/2021-TO(TRU-I)-CBEC]

GAURAV SINGH, Dy. Secy.